

प्रपत्र-ख
शपथ-पत्र

मैं, सुरभि बिहारी

पिता/पति

सुरभि कुमार

उम्र 31 वर्ष, *नगर निगम/*ग्राम परिषद/*ग्राम पंचायत मुजफ्फरपुर के वार्ड संख्या 30

मोहल्ला अबोरिगा बाजार पोस्ट रमना, थाना काजीपुर, जिला मुजफ्फरपुर

बिहार का निवासी हूँ, तथा शपथ पूर्वक घोषणा करता/करती हूँ:-

कि मैं अपना नाम निर्देशन पत्र *नगर निगम/*ग्राम परिषद/*ग्राम पंचायत मुजफ्फरपुर के वार्ड संख्या 30 के *पार्षद/*उप मुख्य पार्षद/*मुख्य पार्षद पद के निर्वाचन हेतु दाखिल कर रहा/रही हूँ;

कि मैं बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 की धारा 18 के उपबन्धों से पूर्णतः अवगत हूँ;

कि मैं बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 की धारा 18 के तहत *नगर निगम/*ग्राम परिषद/*ग्राम पंचायत मुजफ्फरपुर के वार्ड 30 के *पार्षद/*उप मुख्य पार्षद/*मुख्य पार्षद पद के निर्वाचन के लिए अथवा निर्वाचन के बाद अपने पद पर बने रहने के लिए अनर्हित नहीं हूँ;

कि संलग्न अनुसूचित में मेरे द्वारा अंकित की गई सूचनाएँ मेरे विश्वास एवं जानकारी में सही और सत्य हैं।

1. गवाह का पूर्ण हस्ताक्षर विजय किशोर लाल साह
नाम- विजय किशोर लाल साह
पता- आम्रगोला रोड
ओरिगट वल्लभ वार्ड: 30
मुजफ्फरपुर

अभ्यर्थी का हस्ताक्षर

gkward/india
Scitapks.Sinh
Adv.
Enc.No.66/92

2. गवाह का पूर्ण हस्ताक्षर शैलेश चन्द्र कुमार
नाम- शैलेश चन्द्र कुमार
पता- मुह- अबोरिगा बाजार
खट्टल बेक के पास, वार्ड-30, मुजफ्फरपुर

स्थान : मुजफ्फरपुर

दिनांक : 23/09/2022

SR. 341 DATE 3 SEP 2022
लगातार
THE ABOVE NAMED EXECUTANT HAS BEEN IDENTIFIED BY
ADVOCATE KNOWN TO ME PERSONALLY TO M.
SATISFACTION AT UDAI MUZAFFARPUR BEFORE ME
ON PRAKASH BISHA
NOATARY & (ADV.)
CIVIL COURT, MUZAFFARPUR (Bihar)

*जो लागू नहीं हो उसे काट दें।

नोट : कार्यपालक दण्डाधिकारी/नोटरी पब्लिक

नगरपालिका आम निर्वाचन, 2022 के अवसर पर प्रत्येक अभ्यर्थी द्वारा
शपथ-पत्र के साथ दी जाने वाली सूचनाओं का प्रपत्र

मुजफ्फरपुर जिला के *नगर निगम/*नगर परिषद/*ग्राम पंचायत मुजफ्फरपुर

के वार्ड संख्या 30 से *पार्षद/*उप मुख्य पार्षद/*मुख्य पार्षद पद का निर्वाचन।

अभ्यर्थी का नाम- सुरभि शिखा

पिता/पति का नाम- शंतीष कुमार

1. क्या आप देश के भीतर या बाहर किसी न्यायालय द्वारा कभी कारावास या अर्थदण्ड से दंडित किये गये हैं-

(क) यदि हाँ, तो निम्न विवरण अंकित करें:- नहीं

(i) न्यायालय का नाम जिसके द्वारा दंडित किये गये- शून्य

(ii) दंडित किये जाने की तिथि एवं वाद संख्या- शून्य

(iii) किये गये अपराध की प्रकृति-
(अधिनियम एवं धाराओं का विवरण सहित) शून्य

(iv) दिया गया दण्ड- शून्य

(v) काराधीन रहने की अवधि, यदि कोई हो- शून्य

(vi) कारावास से मुक्त होने की तिथि- शून्य

(ख) उपरोक्त दण्डादेश के विरुद्ध कोई अपील/पुनर्विचार का आवेदन दायर किया गया है या नहीं? नहीं

(i) अपील संख्या/पुनर्विचार आवेदन पत्र, यदि कोई हो, का विवरण- शून्य

(ii) न्यायालय का नाम जिसके समक्ष अपील/पुनर्विचार आवेदन पत्र दायर किया गया- शून्य

(iii) क्या दायर अपील/पुनर्विचार आवेदन पत्र निष्पादित हो चुका है अथवा लंबित है- शून्य

(iv) यदि निष्पादित है, तो शून्य

(क) निष्पादन की तिथि- शून्य

(ख) पारित आदेश का संक्षिप्त विवरण- शून्य

(v) क्या अपील/पुनर्विचार आवेदन पत्र के विचारण के दौरान कोई जमानत दिया गया- शून्य

(vi) यदि हाँ, तो जमानत पर मुक्त रहने की अवधि- शून्य

(ग) क्या आप किसी न्यायालय में किसी अपराध में दोषमुक्त (acquittal) या उन्मोचित (discharge)

किये गये हैं, यदि हाँ तो निम्न विवरण दें-

(i) न्यायालय जिसके द्वारा दोषमुक्त किये गये हों- शून्य

(ii) आरोप की प्रकृति एवं वाद संख्या- शून्य

2. क्या आप नार्मांकन दाखिल करने की विधि के छः माह पूर्व देश के भीतर या बाहर जैसे किसी लंबित मामले में आरोपित हैं और उसमें आरोप तैयार कर दिया गया है अथवा सक्षम विधि न्यायालय द्वारा संज्ञान लिया गया है, जिसमें छः माह से ज्यादा की सजा हो सकती है? यदि हाँ, तो निम्न विवरण दें:- **नहीं**

- (i) अधिनियम की धारा और अभियोग का विवरण जिसके लिये आरोपित है। संज्ञान लिया गया है **शून्य**
- (ii) न्यायालय जिसने आरोप तैयार किया है/संज्ञान लिया है- **शून्य**
- (iii) अपराध संख्या **शून्य**
- (iv) आरोप तैयार करने/संज्ञान लेने का न्यायालय के आदेश का दिनांक- **शून्य**
- (v) उपर्युक्त आरोप तैयार करने/संज्ञान लेने के विरुद्ध अपील (अपीलों)/पुनर्विलोकन का प्रार्थना पत्र (पत्रों) यदि कोई हो तो उसका विवरण- **शून्य**

3. क्या आपके विरुद्ध उक्त कोडिका (2) में वर्णित मामले से भिन्न किसी अन्य मामले में देश के भीतर या बाहर किसी न्यायालय द्वारा संज्ञान लिया गया है? यदि हाँ, तो निम्न विवरण दें- **नहीं**

- (i) अधिनियम की धारा और अभियोग का विवरण जिसके लिये आरोपित है/ संज्ञान लिया गया है **शून्य**
- (ii) न्यायालय जिसने आरोप तैयार किया है/संज्ञान लिया है- **शून्य**
- (iii) अपराध संख्या- **शून्य**
- (iv) आरोप तैयार करने/संज्ञान लेने का न्यायालय के आदेश का दिनांक- **शून्य**
- (v) उपर्युक्त आरोप तैयार करने/संज्ञान लेने के विरुद्ध अपील (अपीलों)/पुनर्विलोकन का प्रार्थना पत्र (पत्रों) यदि कोई हो तो उसका विवरण- **शून्य**

4. यदि कोई निर्वाचन संबंधित अपराध लंबित हो, तो पूर्ण विवरण- **शून्य**

5. अपनी परिसम्पत्ति अपने पति/पत्नी एवं आश्रितों सहित का विवरण निम्नवत है:-

(क) अचल सम्पत्ति:-

(i) कृषि भूमि :- **खुद** — **पति**
शून्य — **शून्य**

(ii) शहरी भूमि- **खुद** — **पति**
शून्य — **60050/-** — **Rs. 78 लाख लगभग**

(iii) भवन- **4 रुम का पक्का गीन नल्ला मकान** — **Rs. 15 लाख लगभग**

उपरोक्त की स्थिति, माप तथा वर्तमान बाजार मूल्य दिया जाए।

(ख) चल सम्पत्ति तथा उनकी वर्तमान कीमत:-

(i) नकद - स्वयं - पति
Rs. 51,000/- Rs. 33,000/-

स्वयं
चाहुरवाला - Rs. 44076/-
बैंक बैलेन्स - Indian Overseas Bank
पति - चाहुरवाला - Rs. 17.80
(बैंक की प्रिन्टआउट संलग्न करें।)

(iii) फिक्स डिपोजिट शून्य
(प्रमाण-पत्र की छायाप्रति संलग्न करें।)

(iv) बॉण्ड, शेयर- शून्य
(इसके प्रमाण की छायाप्रति संलग्न करें)

(v) वाहन - शून्य
(निबंधन की छाया प्रति जिसका परिवहन पदाधिकारी की मुहर के साथ संलग्न करें)

स्वयं
(vi) आभूषणों का विवरण खोना - 70 ग्राम -
(पूर्ण विवरण दें) मूल्य - Rs. 3,50,000/-
चोदी - 50 ग्राम -
Rs. 39,000/-

6. ** (क) अपने पति/पत्नी एवं आश्रितों सहित के दायित्वों/
वित्तीय संस्थाओं के बकायों का पूर्ण विवरण दिए जाएं
(प्रमाण-पत्रों के साथ)

(ख) अगर के.सी.सी. है तो उसके अद्यतन प्रमाण-पत्र की छायाप्रति शून्य

7. अपनी शैक्षणिक योग्यता का विवरण स्कूल व कॉलेज के नाम के साथ अंकित करें-
बी.ए. (आनर्स)
मैट्रिक - चेपमैन बालिका उच्च विद्यालय
इंटर - एम.डी.डी.एम, मुज - 2005
बी.ए. (आनर्स) - एम.डी.डी.एम, मुज - 2007
2013

मैं घोषणा करता/करती हूँ कि उपरोक्त सूचनाएँ मेरी जानकारी एवं विश्वास में सही और सत्य हैं।

स्थान- मुजफ्फरपुर

तिथि- 23/09/2021

Sufell. Singh

अभ्यर्थी का हस्ताक्षर

* जो लागू नहीं हो उसे काट दें।

** वित्तीय संस्था/बैंक/सरकार/आयकर/वैल्थ टैक्स/प्रॉपर्टी टैक्स/बिक्री कर संबंधी बकाया।
नोट :- सभी स्तम्भ निश्चित रूप से भरे जायें। जहाँ शून्य विवरण देना हो वहाँ "शून्य" अवश्य अंकित किया जाय।
स्तम्भ खाली छोड़ देने अथवा (X) चिह्न अंकित करने पर यह माना जायेगा कि अभ्यर्थी द्वारा सूचना छिपाने की चेष्टा की गई है और यह नामांकन पत्र रद्द करने का आधार बन सकता है।